आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 245/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड पता–तृतीय तल, जे एस ई एल बिल्डिंग, मालवीय नगर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय बैंक

बनाम

(1) प्रदीप कुमार

पता–(1) फ्लैट नम्बर 314, तृतीय तल, आराधना रेजीडेन्सी, प्लाट नम्बर जी–1, मंगलम सिटी, ग्राम हाथोज, कालवाड रोड, जयपुर ।

(2) प्लाट नम्बर 39, निर्माण नगर, किंग्स नगर, किंग्स रोड, श्याम नगर पुलिस स्टेशन के पास, जयपुर ।

(3) ए–102 बसन्त बिहार, जे बी शाह गर्ल्स कालेज, जिला झुन्झुनू ।

(2) श्रीमती सुलोचना कुमारी

पता–1. सी–39, किंग्स रोड़, निर्माण नगर, श्याम नगर, जयपुर,

2. फ्लैट नम्बर 314, तृतीय तल, आराधना रेजीडेन्सी, प्लाट नम्बर जी–1, मंगलम सिटी, ग्राम हाथोज, कालवाड रोड, जयपुर एवं

3. निठारों की ढाणी, वार्ड नम्बर 18, बिरोची, जिला झुन्झुनू ।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002

उपस्थित :–

1. श्री विनोद खाण्डल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय बैंक की ओर से।
2. श्री दिग्विजय आनन्द अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से ।

आदेश

दिनांक 07.04.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.11.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी प्रदीप कुमार के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लैट नम्बर 314, तृतीय तल, अराधना रेजीडेन्सी, प्लाट नम्बर जी–1, योजना मंगलम सिटी, ग्राम हाथोज, कालवाड रोड, जयपुर क्षेत्रफल 878.25 वर्गफिट को बन्धक रख कर ऋण खाता संख्या LBJA100004120455 में 6,13,000/–रूपये, खाता संख्या LBJA100004120402 में 14,80,000/–रूपये एवं खाता संख्या LBJA100004131493 में 88,000/–रूपये कुल 21,81,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.11.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिग्विजय आनन्द ने उपस्थित हो कर वकालतनामा व जबाब पेश किया ।

3. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभाति अवलोकन किया गया।

4. अप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि श्रीमती सुलोचना कुमारी पत्नी श्री प्रदीप कुमार द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष माननीय जिला मजिस्ट्रेट जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2019 के विरूद्व एस बी सिविल रिट संख्या 5770/2019 लम्बित है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.03.2019 को आदेश पारित कर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 29.01.2019 से अप्रार्थी की अचल सम्पत्ति फ्लेट संख्या 314, तृतीय तल, अराधना रेजीडेन्सी जी–1, योजना मंगलम सिटी, कालवाड रोड जयपुर के कब्जे की क्रियान्विति एवं प्रभाव पर स्थगन आदेश है।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी को कुल 21,81,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 19,79,448/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 30.11.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

6. सरफेसी एक्ट की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का 30 दिवस या अधिकतम 60 दिवस में निस्तारण किये जाने के कानूनी प्रावधान है। इसलिए प्रार्थना पत्र को अधिक समय तक लम्बित नहीं रखा जा सकता है। चूंकि बन्धक सम्पत्ति बाबत माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन जारी किया हुआ है। अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी प्रदीप कुमार के स्वामित्व की सम्पत्ति

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

फ्लैट नम्बर 314, तृतीय तल, अराधना रेजीडेन्सी, प्लाट नम्बर जी–1, योजना मंगलम सिटी, ग्राम हाथोज, कालवाड रोड, जयपुर क्षेत्रफल 878.25 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की एस बी सिविल रिट याचिका संख्या 5770/2019 सुलोचना कुमारी बनाम स्टेट व अन्य के अध्यधीन दिये जाते है।

7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

8. आदेश आज दिनांक 07.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजन विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर